

|--|

Assistant Consular Officer Consulate General of India Dubal (J.A.E.) AKITA KUKRETI



VICINI 40 OFTHOATN THE 40

भारत गोगराज्य के राष्ट्रपति के आदेश में BY ORDER OF THE PRESIDENT

SHE WAY STAND IN NEED. PROTECTION OF WHICH HE OR ANN अरक्षा प्रदान करें जिसकी मेह स्प्राप्त ASSISTANCE AND अञ्चम त्रा आम वत्रवस्था or and this मिंगू कि इस्त रह संह सिंह MILHOLL TEL OF HINDRANCE के स्वतंत्र हम में आने-माने में एक स्राप्त के कार्ड FREELY है कि वे धारक को विना किसी रोक- MAY CONCERN TO ALLOW THE मंबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती । अराधात तार पाठाह ध्रमाठात । र PRESIDENT OF THE REPUBLIC REQUIRE IN THE NAME OF THE

1 13 1000000116 समझ स्कामी से सिम मह , उम मान के इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति THESE ARE TO REQUEST AND



भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

INDIA गणिराज्य

REPUBLIC OF

the H. / Passport No 2146453

KULAM ZAINULABDIN 0

MUHYIDEEN ABDUL KADER

INDIAN

...

23/02/1977

KAYALPATTINAM

PDUBAI

जारी फारने की लिकि / Date of Issue

समारित की सिक्षि / Date of Expiry 27/02/2021

28/02/2011

P<INDKULAM<ZAINULABDIN<<MUHYIDEEN<ABDUL<KADE Z2146453<6IND7702233M2102274<<<<<<<<

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/ केन्द्र में अपना पंजीकरण करवाएं।

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति हैं। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए । यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति

पासपोर्ट गुप हो जाने, चोरी हो जाने अवसा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र और स्वानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत पूछताछ के बाद ही हुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा ।

## REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

## CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY APTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

KULAM ZAINULABDIN

HALIMUTHU SADIYA

पति या पटनी का नाम / Name of Spouse KALEEL RAHMAN RABIA

RILWANA

ST ANGAPPAN 88

MANNADY

Date and Place of 04/05/2006 F6618460

00

CHENNAI 600

RETURNED CLD AND PPT OLD UAE 505552011

